	1 मु0 केशवदेव बनाम जमीन	हुक्म की तामील में जारी हुये
21.6.18	आज यह पत्रावली उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधिनियम 1949 के अन्तर्गत पेश हुआ प्रस्ताव आदि, समक्ष प्रस्तुत की गयी। यह दावा धारा 180 के तहत स्वामी विशेषाधिकार के पालन का है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नदी से यह बाद प्रतिवादीगण को स्वामी विशेषाधिकार के व्यवस्थापन के लिए। विवादित आराजी 116 रकबा 18 बिस्वा के कोई हस्तक्षेप के लिए पेश किया है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी में हस्तक्षेप करना एवं विवादित आराजी की चारदीवारी पर लगे तारों का उखाड़ना व चारदीवारी का तोड़फोड़ करना है। समझाइश की गयी। प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार किया एवं पैमाइश कराने की बात कही।

अतः अब इस आदेश के माध्यम से विवादित किया जाता है तहसीलदार राजखेड़ा आराजी 116 रकबा 18 बिस्वा स्थित ग्राम गढ़े तहसील राजखेड़ा की पैमाइश करावे यदि उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण पाया जावे तो उसे तुरन्त हटाया जावे। प्रतिवादीगण का स्वामी विशेषाधिकार के पालन में किया जाता है कि वाद पैमाइश व वादी की तरफ से एवं बाबे कायम की हुई [illegible] दखलअन्दाजी न करे। पत्रावली नियमानुसार निस्तारण हेतु पेश की जावे। (पत्रावली पेश सुनकर निकाल वाद तहसीलदार अधिकार क्षेत्र से इन्साफ सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)